15/11/2022 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। विभाजन प्रस्ताव पत्रावली पर प्राप्त हो चुका है। प्रतिवादीगण के विरूद्व पूर्व में ही एक पक्षिय कार्यवाही हो चुकी है। विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी को पूर्व में सुना जा चुका है। वकील वादी का कथन है कि मेरा दावा बटवारे का है जिसमें पूर्व में प्राथमिक डिक्री जारी हुई है। तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा विधिवत विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव प्रस्तावित किया है। विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान की उपस्थिति में बनाया गया है। प्रतिवादीगण को भी विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नही है। अतः विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा एफ.डी कर दिया जावें। वकील वादी को सुनने व पत्रावली एवं विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन करने के पश्चात पाया गया कि प्राथमिक डिक्री दिनांक 23.09.2022 की अनुपालना में तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा पक्षकारान/ खातेदारान के मध्य बाह्मी बटवारा व कब्जा काश्त अनुसार विधिवत विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर प्रस्तावित किया गया है। जिससे उभय पक्ष के हस्ताक्षर भी करवाये गये है। अतः दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार नीमकाथाना के पत्रांक भू.अ./2022/5933 दिनांक 06.10.2022 द्वारा प्रस्तावितानुसार अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा वादी व प्रतिवादीगण को मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के पृथक–पृथक काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा डिक्री का भाग समझा जावें। तद्वानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु पर्चा डिक्री मुर्तीव हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)